न्यायालय- अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), ललितपुर।
विविध वाद संख्या 777/2024
सरकार बनाम देवेन्द्र कुशवाहा आदि

अ०सं० 596/2023
अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि०,
थाना कोतवाली ललितपुर।

04.02.2026

विवेचक द्वारा बाद विवेचना वादी/साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं., हस्व अनुमोदनशुदा गैंगचार्ट व अन्य प्रलेखनीय साक्ष्य के आधार पर अ०सं० 596/2023 अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि०, थाना कोतवाली ललितपुर में अभियुक्तगण 1.देवेन्द्र कुशवाहा(गैंग लीडर), 2. हरलाल कुशवाहा(गैंग सदस्य), 3. बृजभान कुशवाहा(गैंग सदस्य), 4. सुरेन्द्र कुशवाहा(गैंग सदस्य), 5. राजेन्द्र कुशवाहा (गैंग सदस्य), 6. पुष्पेन्द्र कुशवाहा (गैंग सदस्य) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि० के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) को प्रसंज्ञान के बिन्दुओं पर सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि गैंग चार्ट का अनुमोदन भी निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट ललितपुर एवं पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा किया गया है। अ०सं० 363/2023 धारा 147, 148, 149, 307, 395, 323, 504, 506, 447, 427, 412 भा.द.स., मु०अ०सं० 95/2023 धारा 147, 427, 504, 506 भा.द.सं., मु०अ०सं० 224/2023, धारा 34, 427, 447, 504, 506 भादसं के तहत लाठी-डंडा आदि से लैस होकर, गाली-गलौच, मारपीट कर चोटें कारित करके तोड़फोड़ व जनता के व्यक्तियों की जमीन पर कब्जा करना, जान से मारने की धमकी देने के अपराध के दृष्टिगत अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि०, थाना कोतवाली ललितपुर गैंगस्टर एक्ट दर्ज किया गया है, उनके द्वारा गंभीर अपराध कारित किया है। केस डायरी में साक्षीगण तथा पत्रावली में उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के परिशीलन किये जाने के पश्चात प्रथम दृष्टया उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण 1.देवेन्द्र कुशवाहा(गैंग लीडर), 2. हरलाल कुशवाहा(गैंग सदस्य), 3. बृजभान कुशवाहा(गैंग सदस्य), 4. सुरेन्द्र कुशवाहा(गैंग सदस्य), 5. राजेन्द्र कुशवाहा (गैंग सदस्य), 6. पुष्पेन्द्र कुशवाहा (गैंग सदस्य) का एक सक्रिय गैंग है, और उनके द्वारा गैंग बनाकर भौतिक, आर्थिक लाभ अर्जित करने हेतु गाली-गलौच, मारपीट कर चोटें कारित करने, तोड़फोड़ कर जमीन पर कब्जा करने, जान से मारने की धमकी देने जैसी जघन्य घटना भा.द.सं. के अध्याय 16, 17, 22 में वर्णित उपबन्धों का उल्लंघन कर घटनायें कारित कर अनैतिक रूप धन अर्जित करते हैं तथा समाज विरोधी क्रिया-कलाप अपने आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ हेतु आम-जनमानस में भय व आतंक का माहौल व्याप्त करना विवेचना दौरान पाये जाने के आधार पर उनके विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि० के अन्तर्गत अपराध का प्रसंज्ञान लिये जाने के पर्याप्त आधार हैं।

आदेश

अभियुक्तगण 1.देवेन्द्र कुशवाहा(गैंग लीडर), 2. हरलाल कुशवाहा(गैंग सदस्य), 3. बृजभान कुशवाहा(गैंग सदस्य), 4. सुरेन्द्र कुशवाहा(गैंग सदस्य), 5. राजेन्द्र कुशवाहा (गैंग सदस्य), 6. पुष्पेन्द्र कुशवाहा (गैंग सदस्य) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द अधि० के तहत प्रसंज्ञान लिया जाता है। पत्रावली वास्ते अभियुक्तगण उपस्थिति हेतु नियत दिनांक 18.02.2026 को पेश हो।

दिनांक 04.02.2026

(सुनील सिंह)
अपर जिला एवं सत्र/
विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट)
ललितपुर।

Digitally signed by SUNIL SINGH
Date: 2026.02.06 15:52:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court